सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 12, बुधवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 04, 2023 *Asvina 12, Wednesday , Saka 1945- October 04, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 27, 2023

संख्या प.6(30)कृषि/ग्रुप-2/1997 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 06.04.1966 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति बाडमेर की स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मण्डी समिति बाडमेर द्वारा मण्डी क्षैत्र के ग्राम बाटाडू में गौण मण्डी घोषित किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बाटाडू मे गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है, जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से होगीः-

पूर्व में	-	सांईयों का तला ग्राम पंचायत भवन
पश्चिम में	-	एस. आर पेट्रोल पम्प
उत्तर में	-	जाट समाज भवन
एवं दक्षिण में	-	आदर्श स्कूल

गौण मण्डी यार्ड बाटाडू की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू- भाग आदि सम्मिलित होंगे

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।